

दिनांक 17/12/22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील...
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब...
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-12-22 को पेश हो।

रीडर

दिनांक 19/12/22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील...
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब...
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-1-23 को पेश हो।

रीडर

18-1-23

आज पत्रावली पेश हुई।
वादीगण एवं उनके वकील को कई
बार रुक-रुक कर आवाज लगावई
जई किन्तु कोई उपस्थित नहीं है।
पत्रावली को ईन्जार् में रखा जाय।
उसके पश्चात् न्यायालय समक्ष समाप्ति
से पूर्व पुनः आवाज लगावई गयी
किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः
वादीगण का बाद वादीगण को अदम
हजरी न अदम पैरको में रेकार्डिंग किता
जाता है। आदेश पुनाया जाय।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा